

दिनांक 01 जनवरी, 2022 से निजी नलकूपों के बीजकों में प्रति एच0 पी0 प्रचलित दरों के आधार पर 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की गयी है। मुफ्त बिजली देने का प्रकरण विचाराधीन है।

निजी नलकूप से सिंचाई करने वाले किसानों को प्रति एच0पी0 प्रचलित दरों के आधार पर 50 प्रतिशत छूट प्रदान की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

ए0 के0 शर्मा
ऊर्जा मंत्री।